न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 95/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/194
दायर दिनांक :– 04.05.2022 निर्णय दिनांक :– 11.05.2026

1. रूपसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. पुष्पाकंवर पुत्री मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मनोहरसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रूपसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
4. विशालसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सांगसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सोहनसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
7. उगमसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
8. प्रभूसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
9. भैरूसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
10. किशनसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
11. सांगसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर प्रति.सं. 1 ता 6

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर ग्राम बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। ग्राम बडीसिड में से नया राजस्व ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय नवसृजित हो जाने से उक्त भूमि वर्तमान में नवसृजित ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय में स्थित है। जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। चालू जमांबदी संवत् 2076–2079 संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 80 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट व इससे पूर्व गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह का 1/2 हिस्सा व जससिंह उर्फ

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा व काश्त अलग–अलग रूप से चला आ रहा था। वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह एवं जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र जससिंह गलती से राजस्व खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि में गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह व जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह दोनो का बराबर–बराबर हक व हिस्सा था। इसी अनुसार ही मौके पर कब्जा व काश्त अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक दोनो का रहा। इसलिये वादी ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में वादी अपने एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 की खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिस हेतु यह वाद पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 के पिता जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह का अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा और वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 के पिता जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि पर वादी का अपने हिस्से अनुसार वर्तमान में कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बना रखे है जिसमें वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। इसलिये वादी उक्त पैतृक भूमि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में वादी अपने एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 की खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त भूमि सरासर गलत रूप से गणपतसिंह पुत्र जससिंह के नाम दर्ज कर दी थी। उक्त गलत इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए गणपतसिंह का विरासरत नामान्तरकरण सं. 457 मौजा बडीसिड प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के पिता मोहबतसिंह पुत्र गणपतसिंह के नाम भरा जाकर स्वीकृत हुआ। जबकि मोहबतसिंह गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह का पुत्र था और मोहबतसिंह ने अपने नाम दर्ज अपने हिस्से की भूमि का बैचान कर दिया था जो खरीददारान के नाम दर्ज है और उनका राजस्व रेकर्ड में खाता भी अलग कायम है। उक्त बैचान के बाद खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि शेष रहती है जो भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसमें मोहबतसिंह पुत्र गणपतसिंह का कोई हक व हिस्सा ही नही है। जब मोहबतसिंह पुत्र गणपतसिंह फौत हुए तो मोहबतसिंह का फौतेदगी का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने इसी कारण नहीं भरवाया कि उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 का कब्जा काश्त है और उक्त भूमि जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह के हक व हिस्से की भूमि है। लेकिन वर्तमान में जमीनों की कीमतों में अत्यधिक बढोतरी होने के कारण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मन में बदयान्ति जागृत हो गई और गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाकर मोहबतसिंह का फौतदगी नामान्तरकरण सं. 359 मौजा जम्भेवश्वरनगर द्वितीय ग्यारह वर्ष बाद वर्तमान में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने अपने नाम से भरवा कर स्वीकृत करवा लिया और अब उक्त भूमि आगे बैचान करने पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 उतारू है। जबकि

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उक्त भूमि पर वादी का अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादी नामान्तरकरण सं. 359 मौजा जम्भेवश्वरनगर द्वितीय को निरस्त करवा कर ग्राम जम्भेवश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नं. 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के स्थान पर वादी अपने एवं प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11 की खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिस हेतु यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 8 ता 11 की ओर से विरेन्द्रसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने पर तनकीयात कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 5 सांगसिंह पुत्र मोहबतसिंह ने अपने साक्ष्य का शपथ पेश किया इनके बयान डी.डब्लू–1 कलमबद्व किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रतिवादी का इकबालिया जवाब, तहसीलदार बाप का जवाब एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर ग्राम बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप भूमि स्थित है। वक्त सेटलमेंट गणपतसिंह पुत्र मालमसिंह का 1/2 हिस्सा, व जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह पुत्र सबलसिंह का 1/2 हिस्सा होने के आधार पर वादीगण को 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की इस्तदुआ चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की और से वाद का विरोध होने से तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तनकी नम्बर 1. आया वादी नामान्तरकरण संख्या 359 मोजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय को निरस्त करवाकर ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

तनकी नम्बर 1 का निर्णय– वादग्रस्त भूमि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है जो पूर्व खातेदार गणपतसिंह पुत्र जससिंह के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्व्त 2031–2034 में पूर्व खातेदार गणपसिंह पुत्र जससिंह दर्ज था जो नामान्तरकरण संख्या 1138 के जरिये मोहबतसिंह के नाम दर्ज की गई। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण उक्त तनकी को

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

किसी भी तरीके के साक्ष्य सबूत, गवाह, दस्तावेज से साबित करने में विफल होने के कारण तनकी नम्बर 1 वादीगण के विरूद्व एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2. आया वादी ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्व इस अमर की फरमाई जावे कि वादी के हिस्सा में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

(जिम्मे वादीगण)

तनकी नम्बर 2 का निर्णय– ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 15 रकबा 4.0064 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादग्रस्त भूमि रेकर्डेड खातेदारी है रेकर्डेड के खातेदार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित नहीं है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था चूकी वादीगण तनकी संख्या 1 को साबित करने में विफल रहे है। अतः तनकी नम्बर 2 वादीगण के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3. आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का उनके पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा कब्जा व काश्त नहीं है। इसलिए वादीगण का उक्त वाद काबिल खारिज के है।

(जिम्मे प्रति.संख्या 1 ता 6)

तनकी नम्बर 3 का निर्णय–वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार होने से कब्जा काश्त भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का है। वादीगण का कब्जा काश्त होने के दस्तावेज वाद पत्र में संलग्न नही है। तनकी न. 1 व तनकी न. 2 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित होने से उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4. आया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 नामान्तरकरण संख्या 359 मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में कब्जा काश्त एवं विधिक प्रकिया के अनुकम में भरा गया है। वादी का उक्त वाद बार्ड बाई लॉ है जो वाद काबिज खारिज के है।

(जिम्मे प्रति.संख्या 1 ता 6)

तनकी नम्बर 4 का निर्णय– नामान्तरकरण संख्या 359 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में विधिक प्रकिया के अनुकम में भरा गया है। उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में साबित होती है। तनकी नम्बर 1 ता 3 का निर्णय वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित होने से उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तनकी नम्बर 5 आया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई कानूनन हक व हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए वादी का वाद काबिज खारिज के है।

(जिम्मे प्रति.संख्या 1 ता 6)

तनकी नम्बर 5 का निर्णय– प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से तथा तनकी संख्या 1 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित होने से उक्त तनकी भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी नम्बर 6 दादरसी ?

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् अनुसार वादीगण अपने वाद को साबित करने में विफल रहे है। वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण–I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी – सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. रूपसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. पुष्पाकंवर पुत्री मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मनोहरसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रूपसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
4. विशालसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
5. सांगसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सोहनसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
7. उगमसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
8. प्रभूसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
9. भैरूसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
10. किशनसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
11. सांगसिंह पुत्र जससिंह उर्फ जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 95/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोलकी मिनजानिब मुदई व विजय तंवर मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2026 को जारी की गई।

(मुहर: सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.))

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायले	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।